भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

परिशिष्ट – IV

BT 213237

S.R. No. 60

शपथ पत्र Date. 14/07/2024

मैं पूरणमल स्वामी पुत्र श्री बोदूराम स्वामी आयु 37 वर्ष, इंग्लिश मिडियम चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विधालय को संचालित करने वाली इंग्लिश मिडियम चिल्ड्रन एकेडमी संस्थान का सचिव एतद्धवारा सत्यनिष्ठा से एवं निम्नानुसार उल्लेख करता हूँ :

1. यह कि राजस्थान संस्था अधिनियम नं. 28, 1958 के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है।

2. यह कि इंग्लिश मिडियम चिल्ड्रन एकेडमी संस्थान गैर मालिकाना स्वरूप की है।

3. यह कि विद्यालय को एक सामुदायिक सेवा के रूप में चलाया जा रहा है न कि एक व्यवसाय के रूप में और विद्यालय में किसी भी तरीके में, चाहे जो भी हो, कोई वाणिज्यिक कार्य नही किया होता है।

4. यह कि संस्था से प्राप्त आय के भाग को समिति विद्यालय प्रबंधन समिति में किसी व्यक्ति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को नहीं दिया जा रहा है और नहीं दिया जाएगा। आवर्ती एवं गैर आवर्ती खर्चो को पूरा करने तथा विकासात्मक कार्यो में अंशदानों, मूल्यहास एवं आकस्मिकता निधि को पूरा करने के बाद बचत यदि कोई हो, का उपयोग, केवल उसी विद्यालय को उन्नत बनाने में तथा उसी विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बढाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

IDENTIFIED BY

ATTESTED

Notary, Narayanpur (Kotputli-Behror) Raj.

14/07/2024

हस्ताक्षर संस्था सचिव

NOTARY
Ashutosh Maharshi Advocate
Narayanpur
(Kotputli-Behror) Raj.
Reg. No-14150
Exp.-1[illegible]4/2029
GOVT. OF I[illegible]

तरुण कुमार तिवाड़ी स्टाम्प विक्रेता ला.नं.-167 नारायणपुर
क्रमांक 00439 दिनांक 14/07/2024
नाम पूरण मल स्वामी पिताजी का नाम भोदूराम
जाति स्वामी निवासी पेजुका, त. कोटपुतली
जरिये शपत-पत्र

ह० क्रेता

तरुण कुमार
ह० विक्रेता
14/07/2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टा[illegible] राशि पर प्रभारित अधि[illegible]र

1. आधारमूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)-10% रुपये 10/-
1. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन [illegible] (धारा 3-ख) 10% रुपये 10/-
3. प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु [illegible] (धारा 3-ख)-10% रुपये 10/-

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर 30 कुल यो[illegible]

तरुण कुमार
14/07/2024

IDENTIFIED BY

परिशिष्ट –IV

5. यह कि विद्यालय किसी दूसरी संस्था, संगठन अथवा निकाय को नाम, मोटो, लोगो अथवा किसी अन्य गैर–शैक्षणिक क्रियाकलाप का प्रयोग करने के लिए कोई प्रभार अदा नही कर रहा है।

6. यह कि संबंधन प्राप्त किए बगैर विद्यालय सी.बी.एस.ई. प्रतिमान के तहत, कक्षाओं को विशेष रूप से कक्षा IX/X/XI/XII को नहीं खोलेगा और किसी भी तरीके में सी.बी.एस.ई. नाम का प्रयोग नहीं करेगा।

7. यह कि विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संवाददाता/प्रबंधक ने संबंधन एवं परीक्षा उपविधियों में निहित उपबंधों और बोर्ड द्वारा समय – समय पर जारी परिपत्रों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है। विद्यालय समय – समय पर जारी संबंधन एवं परीक्षा उपविधियों, निर्देशों में निहित उपबंधों और भू कानून का पालन करने के लिए वचनबद्व है।

8. यह कि विद्यालय, विद्यालय एवं विद्यालय के स्टाफ के संबंध में सभी सांविधिक अपेक्षाओं जैसे कि ई पी एफ, ई एस आई तथा श्रम कानूनों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

9. यह कि विद्यालय, सुनिश्चित करेगा कि भवन संस्था, अग्निसंरक्षा, जलसंरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई प्रमाणपत्र संबंधित नगरपालिका अथवा राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार समय – समय पर जारी किए जा रहे हैं अथवा उनका नवीकरण किया जा रहा है।

10. यह कि विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि कक्षाओं को शुरू करने से पहले विद्यालय के पास सभी उपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध हैं।

11. यह कि विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि संबंधन उपविधियों में निहित उपबंधों के अनुसार र्प्याप्त संख्या में अर्हक अध्यापक कक्षाएं शुरू करने से पहले विद्यालय के पास उपलब्ध हैं।

12. यह कि विद्यालय, संबंधन उपविधियों में निहित शुल्क से संबंधित उपबंधों का पालन करेगा और शुल्क के शीर्षो में किसी अदृश्य प्रभारों का सहारा लिए बगैर सत्र शुरू करने से पहले विद्यार्थियों/माता पिता को शुल्क के ब्यौरे प्रदर्शित करेगा।

13. यह कि विद्यालय किसी विद्यार्थी/माता पिता को किसी विशेष दुकान से पुस्तकें/ स्टेशनरी/ स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

14. यह कि विद्यालय पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रयास करने का प्रयत्न करेगा।

15. यह कि विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय संबंधन हेतु आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा संबंधन के बाद सभी अन्य शर्तो को पूरा करेगा तथा संबंधन उपविधियों में यथानिर्दिष्ट अथवा समय – समय पर अधिसूचित सभी सामान्य नियमों का पालन करेगा।

हस्ताक्षर संस्था सचिव

ATTESTED
Notary, Narayanpur
(Kotputli-Behror) Raj.
14/07/2024

IDENTIFIED BY